# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक......435...../जोन–1/प्रवर्तन खण्ड/2014 दिनांक 23-09-14

सेवा में,

**मै0 श्रेया डवलपवैल प्रा0लि0,(सांगवान हाईटस प्रा0लि),**
द्वारा श्री संजय सिंह, (निदेशक)
खसरा संख्या–1085, 1089 व 1091, ग्राम नूर नगर,
राजनगर एक्स0, गाजियाबाद।

विषयः–खसरा संख्या–1085, 1089 व 1091, ग्राम नूर नगर गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग संशोधित शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शमन आवेदन दिनांक 23.01.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, खसरा संख्या–1085, 1089 व 1091, ग्राम नूर नगर, गाजियाबाद पर स्वीकृत मानचित्र संख्या–1524/जी0एम0पी0/जी0एच0/06 दिनांक 18.10.2006 से अतिरिक्त किये गये निर्माण को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 06.03.2014 को प्रदत्त स्वीकृति के कम में आपके द्वारा दिनांक 18.03.2014 को शमन शुल्क रू0 23,15,100.00 प्राधिकरण कोष (विजया बैंक, शाखा नवयुग मार्केट, गाजियाबाद) में जमा कराये जाने एवं लेबर सैस के मद में देय धनराशि रू0 23,75,970.00 ड्राफ्ट संख्या–130225 दिनांक 14.08.2014 अपर श्रमायुक्त कार्यालय, लोहियानगर, गाजियाबाद में दिनांक 10.09.2014 को जमा कर दिया गया है। उक्त के कम में निम्नलिखित शर्तो के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जा रहा हैः–

**शर्तः–**

1. हिण्डन एयरपोर्ट व प्रदुषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व प्रस्तुत कराना होगा।
2. कवेल स्वीकृति/पूर्व शमनित मानचित्र से अतिरिक्त किये गये निर्माण को शमन किया गया है। अतः भवन में अध्यासन से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. रेनवाटर हार्वेस्टिंग को नियमानुसार संचालित रखना होगा।
4. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा।
5. शमन हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 20.01.2014 एवं वचनबद्धता दिनांक 26.02.2014 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
6. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. शमन उपरान्त स्वीकृति/शमनित ईकाईयों से अधिक ईकाईयों का निर्माण नहीं करेंगें।
8. शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी।

9. शमनित भवन की गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानको, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कमी अंथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन परिसर में कोई दुर्घटना होती है। तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिप्रति के लिए निर्माणकर्ता/विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगी।

10. शमन मानचित्र में दर्शायें गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

11. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या–1524/जी0एम0पी0/जी0एच0/06 दिनांक 18.10.2006 एवं अन्य में दी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तो का उल्लघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्स्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**संलग्नक–शमन मानचित्रों का एक सैट।**

भवदीय

**(पी0के0 शर्मा–प्रथम)**
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन खण्ड जोन–6

अवर अभियन्ता